न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 84/2014/डिक्री

1. नाथू पिता चुन्नीलाल माली
2. जगदीश पिता चुन्नीलाल माली
3. प्रहलाद पिता चुन्नीलाल माली
   तीनो निवासी छोटीसादडी हाल मुकाम साटोला जिला प्रतापगढ़
4. मु0 रामकन्या पिता चुन्नीलाल माली
   निवासी सियाखेडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
5. मु0 चांदीबाई बेवा चुन्नीलाल माली
   निवासी सियाखेडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. नारायण पिता उदयभान माली मृतक के बजाय–
   1. सीताबाई पुत्री नारायण पत्नि अम्बालाल माली
      निवासी सियाखेडी हाल मुकाम नरसिंगपुरा रोड मन्दसौर
   2. राधाबाई पुत्री नारायण पत्नि भंवरलाल माली
      निवासी सियाखेडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 19/05/2007 प्रकरण संख्या 02/2004

उपस्थित – 1. श्री अनुराग ओझा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री मनोहरलाल दक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1(2)

निर्णय दिनांक : 14.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट के पिता चुन्नीलाल ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के यहां प्रस्तुत किया जो बाद मे सहायक कलेक्टर बडीसादडी के यहां ट्रासफर हुआ और सहायक कलेक्टर बडीसादडी के मु0न0 37/81 दिनांक 21/04/1989 के निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक अपील नम्बर 29/89 जो दिनांक 07/06/1995 को स्वीकार की सहायक कलेक्टर का निर्णय निरस्त कर दिया और प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, उसके

विरूद्ध चुन्नीलाल ने इस निर्णय के खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील पेश की जिसका 137/95 पेश की जो दिनांक 04/09/2002 को अदम हाजरी मे खारीज कर दी और उसका वापस रेस्टारेशन का प्रार्थना पत्र चुन्नीलाल के वारिसान ने पेश किया जिसके नम्बर 1749/2010 है जो दिनांक 26/09/2012 को खारीज कर दिया जिसके खिलाफ राज0 उच्च न्यायालय मे रिट पेश कर रखी है जिसका नम्बर 13702/12 जिसमे आगामी पेशी दिनांक 21/04/2014 नियत थी और आगे कब लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता चुन्नीलाल के मरने के बाद अपीलान्ट को उनका कायम मुकाम बहैसियत उसकी सूचना नही दी थी और पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन थी और बगैर मूल पत्रावली को तलब किये उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा ने बगैर अपीलान्ट को सूचना जारी किये इस प्रकरण मे अंतिम डिक्री पारित कर दी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 37/81 जो सहायक कलेक्टर बडीसादडी की प्राथमिक डिक्री थी और उसकी पत्रावली राजस्व मण्डल मे विचाराधीन थी उस पत्रावली को बगैर तलब कराये और उसमे बगैर आगे की कार्यवाही किये गलत तरीके से नई पत्रावली कायम कर जो निर्णय व डिक्री पारित की है अवैधानिक है। मूल प्रकरण मे चुन्नीलाल की मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिसान का नाम वादी के बजाय अपने फैसले मे जरूर लिखा है और प्रतिवादी उदा पिता उदयभान के बजाय भी चुन्नीलाल के वारिसान का नाम जोड दिया, यादि वादी व प्रतिवादीगण एक ही व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो पत्रावली कायम की है, उसे कायम करने का कोई आधार नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी। पटवारी हल्का सियाखेडी से दिनांक 17/09/2014 को हुई। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19/05/2007 निरस्त की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि इसी भूमि के सम्बन्ध मे एक अन्य प्रकरण 37/81 अनुवानी चुन्नीलाल बनाम नारायण उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेडा मे लम्बित था जो सहायक कलेक्टर कार्यालय बडीसादडी को स्थानान्तरित हो गया जिसमे दिनांक 21/04/1989 को डिक्री पारित की गई। नारायण ने उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के यहां अपील पेश की जिसका नम्बर 29/1989 था। उक्त

अपील मे दिनांक 07/06/1995 को निर्णय पारित किया गया जिसमे काउन्टर क्लेम को डिक्री करते हुए चुन्नीलाल का वाद खारीज किया गया जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल मे की गई जिसका नम्बर 137/395 था जो दिनांक 08/09/2009 को अदम हाजरी मे खारीज हो गया उसे बहाल कराने के लिये दिनांक 22/01/2007 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 29/09/2012 को खारीज हो गया जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान मे रिट याचिका दायर की गई जिसका क्रम संख्या 13702/2012 जिसमे न तो किसी प्रकार का आदेश है तथा न ही किसी प्रकार का स्थगन जारी हुआ है। इसी दौरान चुन्नीलाल की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान रिकार्ड पर आ चुके है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करते समय नारायण के वारिसान से प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय पारित कर दिया जबकि उसके पास मूल पत्रावली आई ही नही थी। निर्णय की तिथि को चुन्नीलाल की मृत्यु हो चुकी थी परन्तु निर्णय मे वारिसान का नाम उल्लेखित हैं। अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 05/02/2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमे लम्बे समय तक फाईल तलवी मे चलती रही। दिनांक 26/04/2007 को उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी का चार्ज भी उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा को मिल गया जिसके कारण छोटीसादडी कैम्प लगने लगा। फर्द बंटवाडा के समय न तो अपीलान्ट को बुलाया गया तथा न ही किसी प्रकार के हस्ताक्षर किये गये। दिनांक 02/04/2005 को प्राप्त फर्द बंटवाडे के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व चुन्नी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना किसी प्रकार भी विधिक त्रुटि की श्रेणी मे नही आता है। नारायण के वकील का अधीनस्थ न्यायालय मे वकालतनामा लगा हुआ है। सहायक कलेक्टर छोटीसादडी ने बंटवाडा प्रस्ताव अपने स्तर पर मंगवाया हुआ था। फैसले मे स्पष्ट है कि फाईल नही मिलने के कारण निर्णय पारित किया जा रहा है। साथ फैसले मे सभी निर्णयो का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट द्वारा फर्द बंटवाडा के सम्बन्ध मे कही भी उज्र प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक भूल होना नही पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो एवं रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। फर्द बंटवाडे के समय अपीलान्ट को नही बुलाया गया है। पुराने फर्द बंटवाडे के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है जो अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 2/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 19/05/2007 अपास्त किया जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नवीन बंटवाडा प्रस्ताव मंगाते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़